निदेशालय: उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

परिसर: राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज,

पत्रांक:/663/कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/2223/2023-24,

लखनऊ: दिनाँक: 04 अक्टूबर, 2024

"प्रोजेक्ट प्रवीण"- दिशा/निर्देश
(शैक्षिक/प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2024)

प्रस्तावना:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एन0ई0पी0, 2020) में रेखांकित किये गये व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के महत्व के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 से व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रुप से "प्रोजेक्ट प्रवीण" कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उनकी नियमित शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उनकी रोजगार क्षमता को उन्नत करना है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण नवसृजित हो रहे रोजगार के अवसरों हेतु उन्हे कुशल कार्यबल के रुप में तैयार करना है। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों में स्कूल स्तर पर उद्यमी मानसिकता को विकसित करते हुये उनकी क्षमताओं का उन्नयन करना है, जिससे कि वे वैश्विक स्तर पर पेशेवर उद्यमी के रुप में स्थापित हों।

प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में संचालित हो रहे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित किये गये विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को उनकी रुचि के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टर्स के रोजगार एवं उद्यमिता आधारित अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक शैक्षिक दिवस में 90 मिनट अवधि का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने की व्यवस्था है। प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा अपने स्तर पर आबद्ध किये गये प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से पूर्ण कराया जाता है। प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्येक जनपद के 02 विद्यालयों अर्थात कुल 150 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 21,000 विद्यार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्व के 150 विद्यालयों के साथ-साथ 165 अन्य राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये 41,480 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 62,500 विद्यार्थियों को विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की विधाओं में रोजगार एवं स्व-रोजगार करने तथा भविष्य की अग्रेतर शिक्षा की दिशा निर्धारित करने के दृष्टिगत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्राजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है तथा इस कार्यक्रम के सफल संचालन पर होने वाले व्यय को संज्ञान में लेते हुये व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के आय-व्यय में प्राजेक्ट प्रवीण योजना को स्वीकृत करते हुये पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1.00 लाख विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पंजीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एन0ई0पी0, 2020) में उल्लिखित की गई संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में पायलट कार्यक्रम के रुप में 150 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारम्भ किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विद्यालयों की संख्या को दो गुना करते हुये विस्तारित रुप में संचालित किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025 में प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम को उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित करने से पूर्व विस्तृत दिशा-निर्देश तथा इसके संचालन से सम्बन्धित संस्थाओं एवं प्राधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

2. प्राजेक्ट प्रवीण के उद्देश्य:-

(1) विद्यालयी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों व युवाओं की रुचि में वृद्धि लाया जाना, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अधिकाधिक युवा शिक्षा ग्रहण करें और राष्ट्र निर्माण में शिक्षित होकर अपनी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करें। कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विभिन्न पारिवारिक कारणों से होने वाले ड्रॉप-आउट की दर में भी कमी आने की प्रबल सम्भावना है।

(2) विद्यार्थियों को उनकी नियमित शैक्षिक शिक्षा के साथ-साथ उन्हे तकनीकी व गैर-तकनीकी, नवाचार (Innovations), तथा रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों एवं विधाओं में कौशल में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना, जिससे कि उन्हे अपनी अग्रेतर शिक्षा एवं भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उन्हे रोजगार के माध्यम से जीवीकोपार्जन के अवसरों को प्राप्त करने में सुगमता रहें।

(3) विद्यार्थियों को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Vocational Education and Training-NCVET) के मानकों के अनुरुप प्रशिक्षित करना, जिससे कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उल्लिखित क्रेडिट्स (Credits) एवं राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (National Skill Qualification Framework-NSQF) के स्तर का लाभ प्राप्त हो।

(4) कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) यथा विद्यार्थियों, विद्यालय, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण प्रदाताओं (Training Providers-TPs), सेक्टर स्किल काऊन्सिल्स (Sector Skill Councils-

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

SSCs), प्रमाणन निकायों (Awarding Bodies), मूल्यांकन संस्थाओं (Assessment Agencies-AAs), प्रशासकों (Administrators) तथा शोध संस्थानों एवं संस्थाओं (Research Institutes & Agencies) के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(5) उद्योगों विशेषकर सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन, जिससे कि उद्योगों को कुशल कार्मिकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(6) व्यावसायिक एवं कौशल से सम्बन्धित पेशेवर समाज के युवाओं को उनकी पारिवारिक एवं परम्परागत विधाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उन्हे बाजार में अपने उत्पादों के विपणन (Marketing of Products) हेतु तैयार करना।

(7) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के वंचित वर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, दिव्यांग एवं महिला विद्यार्थियों के बेहतर जीवनयापन के दृष्टिगत उन्हे कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. प्रोजेक्ट प्रवीण के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभाग, संस्थायें एवं प्राधिकारी तथा उनके कार्य एवं दायित्व:-

प्रोजेक्ट प्रवीण के श्रेष्ठतम क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक हितधारक अपने कार्य एवं दायित्व का ससमय निर्वहन करे, जिसके दृष्टिगत इसके क्रियान्वयन में सम्मिलित विभाग, संस्थाओं, प्राधिकारियों एवं अन्य की भूमिका, कार्य एवं दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है:-

3.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उनके प्राधिकारियों के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रोजेक्ट प्रवीण के संचालन के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के साथ अनुबंध को निष्पादित करते हुये उसे हस्ताक्षरित करना तथा उसकी पूर्णता अवधि के पश्चात उसमें आवश्यकताओं के अनुरुप संशोधन करते हुये उसका नवीनीकरण करना।

2 प्रोजेक्ट प्रवीण के संचालन हेतु माध्यमिक विद्यालयों का चयन करते हुये उनकी सूची व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग को प्रेषित करना।

3 प्रोजेक्ट प्रवीण के संचालन हेतु प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या के अनुरुप उनके कौशल प्रशिक्षण हेतु व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा प्रेषित की गई मांग की बजटीय धनराशि पर आवश्यकता की स्थिति में सहमति प्रदान करना।

4 प्रोजेक्ट प्रवीण के संचालन हेतु चयनित किये गये विद्यालयों में पाठ्यक्रमों के संचालन की संख्या के अनुरुप कक्षों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के क्रम में विद्यालय प्रशासन को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से निर्देश प्रदान कराया जाना।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

5 जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण अवधि के दौरान समय-समय पर भ्रमण/निरीक्षण करते हुये विद्यालय स्तर की किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिये यथोचित मार्ग-दर्शन एवं दिशा-निर्देश निर्गत करना।

6 जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा नामांकित किये गये प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्थापित की गई कार्यशाला का समय-समय पर निरीक्षण कर उसमें आवश्यकतानुरुप वांछित उच्चीकरण अथवा परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण प्रदाता के नामित केन्द्र प्रबन्धक को निर्देशित करना तथा उसकी सूचना जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को प्रेषित करना।

7 जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संयुक्त रुप से प्रत्येक त्रैमास में प्रशिक्षण प्रदाताओं, विद्यालय प्रधानाचार्यों एवं विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण हेतु नामांकित नोडल शिक्षक के साथ प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि के लिये यथोचित मार्ग-दर्शन एवं सुझाव प्रदान किये जायेंगे।

8 विभाग द्वारा राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी को नामांकित किया जायेगा।

9 प्रोजेक्ट प्रवीण के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एमू0यू0) की स्थापना एवं संचालन में यथोचित मार्ग-दर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10 प्रत्येक विद्यालय को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंक्रलित कुल धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जा रही है, जिसके उपयोग एवं व्यय में विद्यालय और प्रशिक्षण प्रदाता की मुख्य भूमिका है तथा राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0) तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0) द्वारा यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। अतः इस कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुये समय-समय पर यथोचित मार्ग-दर्शन समस्त सम्बन्धितम को निर्गत किये जायेंगे।

3.2 माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन की संख्या के अनुरुप कक्ष एवं उनमें विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।

2 प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के नियमित अनुश्रवण हेतु किसी भी एक अध्यापक को "नोडल अध्यापक" के रुप में नामित किया जायेगा।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

3 नोडल अध्यापक के विवरण को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0) द्वारा अंकित किया जायेगा। नोडल अध्यापक के स्थानान्तरण/परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना विद्यालय द्वारा डी0पी0एम0यू0 को प्रेषित की जायेगी।

4 प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय में संचालित किये जाने वाले अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु एन0सी0वी0ई0टी0 द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्या में प्रशिक्षक हेतु निर्धारित की गई योग्यता के अनुरुप ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी तथा ऐसे समस्त प्रशिक्षकों के "प्रशिक्षक का प्रशिक्षण" (Training of Trainer-ToT) प्रमाण-पत्र की वैधता की जाँच प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार मूल्यांकन के समय मूल्यांकनकर्ता के "मूल्यांकनकर्ता का प्रशिक्षण" (Training of Assesor-ToA) प्रमाण-पत्र की वैधता की जाँच भी की जायेगी। ToT तथा ToA प्रमाण-पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने की स्थिति में उसकी सूचना तत्समय डी0पी0एम0यू0 को प्रेषित की जायेगी।

5 प्रत्येक विद्यालय की दिवसीय शैक्षिक समय-सारिणी को इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि प्रत्येक शैक्षिक दिवस में 90 मिनट का समय कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु स्पष्ट रुप से उल्लिखित रहेगा। इस प्रकार समय-सारिणी को तैयार करने एवं भविष्य में परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियुक्ति किये गये प्रशिक्षक को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय समय-सारिणी में निर्धारित कुल दैनिक अवधि के पश्चात उपलब्ध समय (अधिकतम 60 मिनट तक) में भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है किन्तु इस हेतु समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों की सहमति आवश्यक है। इसी प्रकार अवकाश के दिवसों में भी विद्यार्थियों की सहमति से कौशल प्रशिक्षण को संचालित किया जा सकता है।

6 विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक द्वारा कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता का समय-समय पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा उसमें सुधार के लिये प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक को सुझाव प्रदान किये जायेंगे।

7 विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक द्वारा कौशल प्रशिक्षण से सम्बन्धित संगोष्ठी, सेमिनार, विशेषज्ञों के व्याख्यान, कौशल प्रदर्शनी, औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों भ्रमण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन में प्रशिक्षण प्रदाता को यथाआवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

8 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी का डिजीलॉकर पर खाता खुलवाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रदाता को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

3.3 प्रशिक्षण प्रदाता एवं उसके प्रशिक्षक के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रत्येक आवंटित विद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन की संख्या के अनुरुप उच्च गुणवत्तायुक्त कार्यशालाओं को स्थापित किया जायेगा। कार्यशालाओं में मशीनें, सज्जा, उपकरण, संयत्र एवं संगणकों की वांछित संख्या को संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार स्थापित कराते हुये क्रियाशील कराया जायेगा।

2 विद्यालय हेतु स्वीकृत किये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उसकी पाठ्यचर्या का संचालन सम्बन्धित सेक्टर स्किल काऊन्सिल (एस0एस0सी0), प्रमाणन निकाय अथवा एन0सी0वी0ई0टी0 द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरुप कराया जायेगा।

3 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले बैच में विद्यार्थियों की संख्या 15 से 35 के मध्य रहेगी।

4 प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की 07 कार्य-दिवस की अवधि में समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों को पाठ्य-सामग्री अनिवार्य रुप से प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसके विवरण को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अद्यतन किया जायेगा। पाठ्य-सामग्री का निर्धारित अवधि में वितरित नहीं किये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाता को किये जाने वाले भुगतान में से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती की जायेगी।

5 प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा मात्र ऐसे प्रशिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित किया जायेगा, जिनके पास सम्बन्धित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वैध "प्रशिक्षक का प्रशिक्षण" (Training of Trainer) प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा।

6 विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति के अंकन हेतु आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Adhaar Enabled Biometric Attendance System-AEBAS) से सम्बन्धित उपकरण को स्थापित कराते हुये उसे सम्बन्धित संस्था की संगणक प्रणाली (Computer System) से विन्यस्त (Configure) कराकर क्रियाशील कराया जायेगा।

7 विद्यालय में प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं ब्रांडिंग की समुचित तथा श्रेष्ठतम व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे कि प्रशिक्षणरत् एवं भविष्य के विद्यार्थी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित हों।

8 किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि (न्यूनतम 70 प्रतिशत) को पूर्ण कर चुके बैचों की समाप्ति के तीन कार्य दिवस की अवधि में उनके मूल्यांकन से सम्बन्धित अनुरोध उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित सेक्टर स्किल काऊन्सिल/प्रमाणन निकाय को प्रत्येक दशा में अग्रसारित किये जायेंगे। मूल्यांकन के अनुरोध को विलम्ब से प्रेषित किये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

प्रदाता के विरुद्ध उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा यथोचित कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

9 प्रोजेक्ट प्रवीण प्रशिक्षण के अन्तर्गत विद्यालय में संचालित हो रहे प्रशिक्षण की मासिक प्रगति रिपोर्ट को प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जिला विद्यालय निरीक्षक तथा डी0पी0एम0यू0 को प्रेषित की जायेगी।

10 प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण के लाभ से निरन्तर अवगत कराया जायेगा, जिससे कि विद्यार्थी जीवन में कौशल उसके महत्व को समझ सकें।

11 प्रशिक्षक द्वारा कार्यशाला/कार्यशालाओं में स्थापित/संचालित मशीनें, सज्जा, उपकरण, संयत्र और संगणकों के चलन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उनके रख-रखाव व अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा।

12 प्रशिक्षक द्वारा किसी भी शैक्षिक दिवस में अवकाश लिये जाने से पूर्व उसकी अनुमति नोडल अध्यापक से प्राप्त की जायेगी तथा 02 से अधिक शैक्षिक दिवस का अवकाश लिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रतिस्थानी प्रशिक्षक की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।

13 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी का डिजीलॉकर पर खाता खुलवाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य की पूर्ति हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन और डिजीलॉकर के पोर्टल ए0पी0आई0 सेतु के माध्यम से आपस में संयोजित रहेंगे।

14 प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कार्यशाला अथवा कार्यशालाओं के विद्युत व्यय का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जायेगा।

15 विद्यालय में संचालित किये जाने रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एन0सी0वी0ई0टी0 द्वारा निर्गत पाठ्यचर्या में उल्लिखित अथवा उसके अनुरुप वांछित कच्चे माल व अन्य समस्त सामग्री आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।

16 उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विद्यालय को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंकलित कुल धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जा रही है, जिसके उपयोग एवं व्यय में विद्यालय और प्रशिक्षण प्रदाता की मुख्य भूमिका रहेगी। अतः इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कार्य किया जायेगा।

3.4 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0) के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रत्येक वर्ष के शैक्षिक सत्र के प्रारम्भिक माह में विद्यालयों का सर्वे कर विद्यार्थियों की रुचि के अनुरुप प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संस्तुति के विवरण को जिला समन्वयक

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को अग्रसारित किया जायेगा।

2 डी0पी0एम0यू0 में तैनात व कार्यरत जिला समन्वयक एवं काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के नोडल अध्यापक से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के पंजीकरण में श्रेष्ठतम सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3 जिला समन्वयक एवं काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा नियमित रुप से विद्यालयों का भ्रमण करते हुये प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, नोडल अध्यापक एवं विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा अप्रिय स्थिति में जिला समन्वयक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाता को सुधार लाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

4 काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा विद्यालय में रोपित आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Adhaar Enabled Biometric Attendance System-AEBAS) से सम्बन्धित उपकरण के संचालन की समय-समय पर जाँच की जायेगी तथा उसके अक्रियाशील पाये जाने अथवा उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाता एवं प्रशिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति जिला समन्वयक से कराते हुये नोटिस निर्गत किया जाना।

5 जिला समन्वयक एवं काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं लाभ तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा लोकहित में संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अवगत कराया जाता रहेगा।

6 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत स्वीकृत विद्यालय को केन्द्र के रुप में तथा विद्यालय में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निर्मित किये गये प्रशिक्षण बैच को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अनुमोदित किया जायेगा, जिसे जिला समन्वयक द्वारा पोर्टल पर स्वीकृत किया जायेगा।

7 विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षकों के "प्रशिक्षक का प्रशिक्षण" (Training of Trainer-ToT) प्रमाणन की जाँच (सम्बन्धित पोर्टल से यथा Skill India Digital Hub आदि) करना तथा उसे उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अनुमोदित करना।

8 विद्यालयों में ऐसे कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को ही अनुमोदित किया जायेगा, जिनकी वैधता अवधि अवशेष हो। अर्थात ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम अथवा उनके संस्करणों को संचालित किये जाने पर अनुमोदन नहीं प्रदान किया जायेगा, जो एन0सी0वी0ई0टी0 द्वारा समाप्त घोषित कर दिये गये हैं।

9 मूल्यांकन के समय जिला समन्वयक एवं काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक की विद्यालय में उपस्थिति को यथासम्भव सुनिश्चित किया जाये।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

10 काऊन्सलर कम एम0आई0एस0 प्रबन्धक, जिला समन्वयक एवं मुख्य विकास अधिकारी आदि द्वारा निर्धारित प्रपत्रों यथा ए, सी, डी, एच, आई तथा अन्य सम्बन्धित के सत्यापनोपरान्त, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैचों के बीजकों को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर व्यवस्थानुरुप भुगतान हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

11 किसी भी विद्यालय में समय परिवर्तन एवं विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रशिक्षण अवधि के विस्तारण हेतु प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किये गये अनुरोध पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये उन्हे ससमय उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को अग्रसारित किया जायेगा।

12 विद्यालय को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंकलित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रदान की जा रही 20 प्रतिशत धनराशि है, जिसके उपयोग एवं व्यय में विद्यालय और प्रशिक्षण प्रदाता की मुख्य भूमिका रहेगी। अतः इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कार्य किया जायेगा।

3.5 प्रमाणन निकाय/सेक्टर स्किल काऊन्सिल के कार्य एवं दायित्व:-

1 कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विद्यालयों में पंजीकृत किये गये विद्यार्थियों के बैचों के मूल्यांकन हेतु यह अनिवार्यता रहेगी कि बैच के प्रत्येक विद्यार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत हो।

2 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का विकास और उनका एन0सी0वी0ई0टी0 से अनुमोदन प्राप्त करना।

3 विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण के संचालन को संज्ञान में रखते हुये आधुनिक व नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आवश्यकतानुरुप समय-समय पर विकसित कर एन0सी0वी0ई0टी0 से अनुमोदित कराकर उपलब्ध कराया जायेगा।

4 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण के पश्चात प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन में अर्जित किये गये अंकों के स्थान पर ग्रेड को उल्लिखित किये जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा अर्थात उन्हे उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र नहीं प्रदान किया जोयगा।

5 प्रोजेक्ट प्रवीण के बैचों का ससमय मूल्यांकन कराया जायेगा तथा उसके उपरान्त 02 सप्ताह की अवधि में प्रमाण-पत्र उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

6 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा तैनात किये जाने वाले प्रशिक्षकों के "प्रशिक्षक का प्रशिक्षण" (Training of Trainer) प्रमाणन को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

7 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत विद्यालयों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित की गयीं दरों पर कार्य किया जायेगा।

8 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत विद्यालयों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता वृद्धि हेतु यथोचित सुझाव समय-समय पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.6 उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रोजेक्ट प्रवीण के संचालन हेतु विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वांछित धनराशि की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से बजट के माध्यम से करना।

2 प्रोजेक्ट प्रवीण के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्गत करना तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन एवं उन्हे विद्यालय आवंटन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्धारण, विभिन्न प्रकृति की स्वीकृतियों को निर्गत करना, प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाना।

3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु प्रमाण निकायों/सेक्टर स्किल काऊन्सिल्स के साथ समन्वय तथा दिशा-निर्देश जारी किया जाना।

4 विद्यालय स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रबन्धन एवं निगरानी तन्त्र की स्थापना एवं उसका संचालन किया जाना।

5 समस्त हितधारकों के समन्वय स्थापित करना तथा प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम की गुणवत्ता वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकृति के कार्यों को सम्पादित करना एवं नवाचार को बढ़ावा देना।

6 विद्यालय को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंकलित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रदान की जा रही 20 प्रतिशत धनराशि के उपभोग एवं व्यय के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन पर यथोचित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।

7 प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के श्रेष्ठत्म संचालन व अनुश्रवण के दृष्टिगत निर्गत किये रहे दिशा-निर्देशों के अनुरुप हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल में यथोचित संशोधन कराया जाना।

3.7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0) के कार्य एवं दायित्व:-

1 प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के श्रेष्ठतम संचालन हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में पूर्व से पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं को विद्यालय एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आवंटन की प्रक्रिया में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को यथाआवश्यक यहयोग प्रदान किया

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

जाना तथा आवश्यकता की स्थिति में नवीन प्रशिक्षण प्रदाताओं के आबद्धीकरण के कार्य को पूर्ण किया जाना।

2 प्रोजेक्ट प्रवीण के श्रेष्ठतम क्रियान्वयन हेतु कार्यरत समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं का सतत् मूल्यांकन किया जाना।

3 प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किये जाने वाले लक्ष्य सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित किया जाना।

4 प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किये जाने वाले लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अनुश्रवण किया जाना। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता, कच्चे माल की ससमय उपलब्धता और गुणवत्ता, प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं प्रमाण में सहयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ कार्यक्रम के संचालन में वांछित यहयोग, पाठ्य-सामग्री के विकास में अपेक्षिपत सहयोग तथा उसे मातृ-भाषा में उपलब्ध कराया जाना, आदि पर निरन्तर कार्य किया जायेगा।

5 उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर प्राजेक्ट प्रवीण से सम्बन्धी कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना।

6 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत विधिक प्रकार के प्रकरण का निस्तारण किया जाना।

7 प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत नवाचार की वृद्धि के लिये सम्बन्धित संगोष्ठी, सेमिनार, विशेषज्ञों के व्याख्यान, कौशल प्रदर्शनी, औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों भ्रमण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन में विभागों, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, विद्यालयों एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं को यथाआवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना।

4. भुगतान प्रक्रिया एवं सम्बन्धित बिन्दु

1 उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की श्रेणी के अनुरुप निधारित दर क्रम में कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंकलित कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि प्रदान की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षण सामग्री एवं आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का व्यय सम्मिलित रहेगा।

2 विद्यालय को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के आलोक में आंकलित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत धनराशि से कार्यशाला हेतु आवंटित कक्ष का लघु अनुरक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं सेमिनार के आयोजन पर, विद्यार्थियों को औद्योगिक इकाईयों के भ्रमण पर, विशेषज्ञों के व्याख्यान आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराये जा सकते हैं। इन कार्यों को विद्यालय और प्रशिक्षण प्रदाता आपसी सहमति से सम्पादित कर सकते हैं तथा इनके बेहतर

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादन में डी0पी0एम0यू0 एवं पी0एम0यू0 द्वारा भी यथासम्भव सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3 कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण व सेवायोजन पर व्यय की आंकलित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षार्थियों के 03 माह के निन्तर सेवायोजन के पश्चात प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट प्रवीण में उक्त 30 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षण प्रदाताओं को नहीं प्रदान की जायेगी।

इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदाता को कॉमन कॉस्ट नार्म्स के प्रतिबन्धों के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण व सेवायोजन पर व्यय की आंकलित कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि दो समान किश्तों में निम्नानुसार प्रदान की जायेगी:-

(i) प्रथम किश्त के रुप में 25 प्रतिशत धनराशि बैच में पंजीकृत विद्यार्थियों में से 80 प्रतिशत की 35 प्रतिशत उपस्थिति के पूर्ण होने के पश्चात निर्गत की जायेगी।

(ii) द्वितीय/अंतिम किश्त के रुप में 25 प्रतिशत धनराशि बैच में अंतिम रुप से प्रमाणित विद्यार्थियों की संख्या के आलोक में निर्गत की जायेगी।

(iii) प्रशिक्षण प्रदाता को द्वितीय किश्त का भुगतान सम्पूर्ण बैच के प्रमाणित प्रशिक्षार्थियों की संख्या के अनुरुप किया जायेगा तथा यदि प्रथम किश्त की धनराशि हीं अंतिम धनराशि के रुप में आंकलित होती है, तो द्वितीय किश्त नहीं निर्गत की जायेगी। इसके साथ-साथ यदि प्रथम किश्त की धनराशि बैच की 50 प्रतिशत आंकलित धनराशि से अधिक होगी, तो प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अन्तर की धनराशि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से वापस किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अधिक्य भुगतान की धनराशि को 30 दिन की अवधि में वापस नहीं किये जाने की स्थिति में उसकी धरोहर धनराशि से कटौती की जायेगी तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता को दो किश्तों में तथा सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालयों को भुगतानित की जाने वाली 20 प्रतिशत धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर यथोचित व्यवस्था विकसित की जायेगी।

(v) प्रशिक्षण के उपरान्त सेक्टर स्किल काऊन्सिल्स अथवा प्रमाणन निकायों द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के भुगतान में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत नवीनतम कार्यालय-ज्ञाप में उल्लिखित दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम में नवाचार को बढ़ावा देने और गुणवत्ता में वृद्धि के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग तथा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner

संस्थान, भोपाल से समन्वय स्थापित कर उनसे मार्ग-दर्शन एवं यथासम्भव सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट प्रवीण के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन तृतीय पक्ष से कराया जायेगा। तृतीय पक्ष के मूल्यांकन एवं पी0एम0यू0 के संचालन पर होने वाले व्यय हेतु वांछित की प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि से किया जायेगा किन्तु व्यय की धनराशि बजटीय प्राविधान की 02 प्रतिशत सीमा तक रहेगी।

प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3683/कौ0वि0मि0/2022-23/टीपीपी/रा.शि.नी./1869, दिनाँकः 17 दिसम्बर 2022 यथासंशोधित समझे जायेंगे।

कृपया उक्तानुसार समस्त सम्बन्धित अपने कार्य एवं दायित्वों का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें।

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0

04/11/24

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2 प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
4 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5 समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु), व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0।
7 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी, उ0प्र0।
8 समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
9 सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालय, उ0प्र0 (द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी)।
10 समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
11 उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के समस्त अधिकारीगण।
12 गार्ड फाईल।

04/11/24

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक

अभिषेक सिंह
मिशन निदेशक
उ०प्र० कौशल विकास मिशन

Scanned with OKEN Scanner